

निर्बल वर्ग के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सामान्य वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग एवं अन्य पिछड़ा जाति वर्ग के छात्राओं को क्रमशः जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा फीस प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति प्रदान की जाती हैं।

### प्रथम वर्ष हेतु:-

प्रवेश शुल्क	रु0 2000 / - (केवल प्रवेश के समय)
शिक्षण शुल्क (आरक्षित श्रेणी हेतु)	रु0 9000 / - (वार्षिक)
शिक्षण शुल्क (सामान्य श्रेणी हेतु)	रु0 18000 / - (वार्षिक)
अन्य शुल्क	रु0 4000 / - (वार्षिक)
विकास शुल्क	रु0 2000 / - (वार्षिक)
परीक्षा शुल्क	रु0 2000 / - (वार्षिक)

### द्वितीया, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष हेतु:-

शिक्षण शुल्क (आरक्षित श्रेणी हेतु)	रु0 9000 / - (वार्षिक)
शिक्षण शुल्क (सामान्य श्रेणी हेतु)	रु0 18000 / - (वार्षिक)
अन्य शुल्क	रु0 4000 / - (वार्षिक)
विकास शुल्क	रु0 2000 / - (वार्षिक)

- फीस प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति हेतु निम्नलिखित अर्हताएं हैं:-
- अभ्यर्थी उ0प्र0का मूल निवासी हो।
- अभ्यर्थी द्वारा किसी भी अन्य स्रोत से कोई भी छात्रवृत्ति/वित्तीय सहायता प्राप्त न हो रही हो।